

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 37/25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025/125

1. श्री राजकुमार बडगुर्जर पिता मांगीलाल जी, जाति बडगुर्जर, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री अर्जुनसिंह पिता मांगीलाल जी, जाति बडगुर्जर, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
2. श्री हेमन्त कुमार पिता मांगीलाल जी जाति बडगुर्जर, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
3. श्री ओमप्रकाश पिता सत्यनारायण जी जाति महाजन, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील भावली जिला-उदयपुर (राज०)
4. श्री कैलाशचन्द्र पिता जगन्नाथ जी जाति महाजन, उम्र-वयस्क, निवासी- मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती कांतादेवी पुत्री जगन्नाथ जी जाति महाजन, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
6. श्री गिरिराज पिता सत्यनारायण जी जाति महाजन, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
7. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. सत्यनारायण जी जाति महाजन, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
8. श्रीमती सुनिता पुत्री सत्यनारायण जी जाति महाजन, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
9. श्री प्रेमसख पिता जगन्नाथ जी जाति महाजन, उम्र-वयस्क, निवासी- मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
10. श्रीमती लाडदेवी पुत्री जगन्नाथ जी जाति महाजन, उम्र-वयस्क, निवासी- मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
11. श्रीमती लीलादेवी पुत्री जगन्नाथ जी जाति महाजन, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
12. श्रीमती संतोष देवी पत्नी जगन्नाथ जी जाति महाजन, उम्र-वयस्क, निवासी-मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज०)
13. पटवारी पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला-उदयपुर (राज.)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला-उदयपुर (राज.)

.....विपक्षीगण

उपस्थित :- 1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक 23.05.2025



1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 2925, 2926, 5026/2929, 5027/2930 किता 4 कुल रकबा 0.5584 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम पर स्वतंत्र खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 12 का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। विपक्षी संख्या 1 से 12 केवल मात्र प्रार्थी की उक्त भूमि के पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी दिशा के पड़ोसी खातेदार है। विपक्षी संख्या 1 से 12 मुझ प्रार्थी के साथ आए दिन विवाद करते है। इसलिए मुझ प्रार्थी की भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी करना आवश्यक है। अंत में निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि की पूर्वी दिशा, पश्चिम दिशा, व दक्षिण दिशा का सीमांकन कर प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगड़ी की जावे।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता द्वारा बहस का निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी हक की भूमि है। इसमें विपक्षी संख्या 1 से 12 का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थी की भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान करावें।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 1236 पर दर्ज आराजी नम्बर 2925, 2926, 5026/2929, 5027/2930 किता 4 कुल रकबा 0.5584 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 से 12 का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। किसी प्रकार की घोषणा नहीं चाही गई है। उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 12 के मध्य सीमा संबंधी विवाद नहीं रहेगा। इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।
4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/-रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का

मावली तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 1236 पर दर्ज आराजी नम्बर 2925, 2926, 5026/2929, 5027/2930 किता 4 कुल रकबा 0.5584 हैक्टेयर भूमि की पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, व दक्षिण दिशा का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थी एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।

5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर